# अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

जनपद बलिया में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले जरुरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों के सभी जाति के विवाह योग्य कन्याओं की शादी हेतु कन्या को प्रदान की जाने वाली आवश्यक सामाग्रियों, जो गुणवत्तायुक्त व ब्राण्डेड हो, के आपूर्ति हेतु निविदा आनलाइन बेबसाइट http://tender.up.nic.in के माध्यम से पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दिनांक 22.07.2021 से दिनांक 2021 तक ई–टेण्डर आमंत्रित किया जाता है। निविदा की नियम, शर्ते व अन्य प्रपत्र बेवसाइट उपलब्ध है। ई–निविदा उक्त बेवसाइट पर दिनांक 22.07.2021 से दिनांक 1.0 2021 सायं 05:00 तक आनलाइन आवेदन कर भरा जा सकता है। ई–निविदा दिनांक 02.08.2021 को दोपहर 12:00 ई–टेण्डर समिति के समक्ष विकास भवन, सभा कक्ष, बलिया में खोली जायेगी।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बलिया।

## कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलिया

पत्रांक 390.94/स0क0/मु0सा0शा0/ई–टेण्डर/विज्ञप्ति/2021–22 दिनांक 22/07/21

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी महोदय, बलिया को सादर अवलोकनार्थ।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बलिया को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बलिया को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि ई–निविदा एन0आई0सी0 बलिया के बेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. सम्पादक, दैनिक जागरण एवं अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा को इस अनुरोध के प्रेषित कि उक्त ई–टेण्डर की विज्ञप्ति को अपने–अपने दैनिक समाचार पत्रों में प्रक कर बिल शासकीय दर पर भुगतान हेतु दो प्रतियों मे जिला सूचना अधिकारी, बलि प्रमाणित कराते हुए उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बलिया।

Scanned with CamScanner

## वर्ष 2021–22 समाज कल्याण विभागः मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

### निविदा की शर्ते

1. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत 1– सामूहिक विवाह के समय कन्याओं को प्रदान की जाने वाली सामग्री 2– टेन्ट व सजावट एवं सामूहिक विवाह में सम्मिलित लोगों को भोजन कराये जाने हेतु कैटरिंग कार्य हेतु दो अलग–अलग ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।
2. निविदादाता द्वारा पृथक–पृथक निविदा हेतु रु 3000/–(रु तीन हजार मात्र) की डी0डी0 जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलिया के पक्ष में देकर निविदायें आनलाइन बेवसाइट ई–टेण्डरिंग पोर्टल http://e-tender.up.in पर दिनांक 22.07.2021 से दिनांक 31.07.2021 अपरान्ह 05:00 बजे तक आनलाईन आवेदन कर भरा जा सकता है।
3. ई–निविदा प्रपत्र पूर्ण रुप से भरकर आनलाइन ई–प्रपत्र में निविदादाता का नाम, फार्म का नाम व पता अंकित करना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता रु0 75,000/–(रु0 पचहत्तर हजार मात्र) प्रत्येक ई–निविदा हेतु पृथक–पृथक की धनराशि अर्नेस्टमनी के रुप में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से समाज कल्याण अधिकारी, बलिया के पक्ष में संलग्न करना अनिवार्य है। जिन निविदादाता की ई– निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी, उन्हें उनकी धनराशि लिखित प्रार्थना पत्र देने पर ई–निविदा खोलने के पश्चात वापस कर दी जायेगी तथा जिनकी ई–निविदा स्वीकृत की जायेगी उनकी उक्त धनराशि कार्य सम्पन्न होने तक बन्धक रहेगी।
5. यह निविदा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये मान्य है।
6. अपूर्ण, ओवर राइटिंग, बिना धरोहर राशि व अन्य आवश्यक अभिलेख अथवा बिना हस्ताक्षर प्राप्त ई–निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। ऐसे आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।
7. इच्छुक निविदादाताओं का वाणिज्य कर विभाग में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र एवं आयकर विभाग के पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
8. सामूहिक विवाह का आयोजन जनपद की सीमा के भीतर विभिन्न स्थानों पर किया जायेगा। कन्या को सामूहिक विवाह में प्रदान की जाने वाली सामग्री टेन्ट, सजावट व कैटरिंग कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता को सामूहिक विवाह स्थल तक सामानों को लाने व ले जाने हेतु कोई अतिरिक्त भाड़ा आदि देय नहीं होगा।
9. कन्याओं को सामूहिक विवाह में प्रदान की जाने वाली सामग्री टेन्ट, सजावट व कैटरिंग कार्य हेतु टेक्निकल बिड समान है। किन्तु उक्त दोनों कार्यो हेतु वित्तीय बिड अलग–अलग है। टेक्निकल बिड की शर्ते पूर्ण होने पर ही वित्तीय बिड खोला जायेगा। अनुभव वाली फर्म को वरीयता प्रदान की जायेगी।
10. ई–टेण्डर हेतु समस्त निविदादाताओं को अपने फर्म का विगत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न (आई0टी0आर0) संलग्न करना अनिवार्य है।
11. सशर्त ई–निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। ई–निविदा दर में सभी कर सम्मिलित होने चाहिए। विभाग द्वारा ई–निविदा दर के अतिरिक्त कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।
12. एक या समस्त ई–निविदा का निरस्त किये जाने का अधिकार ई–टेण्डर समिति में निहित होगा।
13. कैटरिंग के बर्तन, थाली, गिलास व पानी की आपूर्ति संख्या के हिसाब से करना अनिवार्य होगा तथा इसके लिये कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगा।
14. फर्म किसी विभाग द्वारा काली सूची में नही होनी चाहिए।
15. फर्म द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छुपानेकी स्थिति में उनकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
16. कैटरिंग कार्य हेतु जिला अभिहित अधिकारी द्वारा जारी खाद्य का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
17. टेन्ट एवं कैटरिंग कार्य हेतु श्रम विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
18. समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।
19. जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
20. निविदा के लिये आई0एस0ओ0 प्रमाणित फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी।
21. कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर समिति द्वारा फर्म की निविदा कभी भी निरस्त किया जा सकता है।
22. इस ई–निविदा में न्यूनतम 05 जोड़ो के विवाह हेतु अधिकतम रु0 30.000.00 (रु0 तीस हजार) तक का ही बजट का प्राविधान है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बलिया।

Scanned with CamScanner